

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

योजना एवं सांख्यिकी निदेशालय
बिहार, पटना
प्राप्ति
दिनांक पहाड़ा.....
इसकी तिथि.....

का0आ0सं0:-स्था01/आ02-18/2016 113 /पटना, दिनांक- 05-05-2016

कार्यालय आदेश

श्री अंजनी कुमार, प्रखण्ड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, एकंगरसराय, नालंदा को थाना कांड संख्या-58/2016 दिनांक 08.04.2016 में नामजद अभियुक्त बनाया गया है तथा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 53ए/53सी0/64 बिहार उत्पाद (संशोधित) अधिनियम 2016 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी एवं श्री कुमार को गिरफ्तार कर उप कारा, हिलसा में भेज दिया गया। अभियुक्त रहने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-9(2)(क) के तहत हिरासत में जाने की तिथि 09.04.2016 के प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. श्री कुमार का निलंबन अवधि में मुख्यालय जिला सांख्यिकी कार्यालय, मुंगेर निर्धारित किया जाता है। श्री कुमार के जेल में रहने की अवधि में निर्धारित मुख्यालय में उपस्थिति अपेक्षित नहीं होगी।

3. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-10 के प्रावधानों के तहत इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

ह0/
(प्रमोद कुमार वर्मा)
निदेशक

ज्ञापांक: /पटना, दिनांक

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

*2. जिला पदाधिकारी, नालंदा/मुंगेर।

*निबंधित

*3. जिला कोषागार पदाधिकारी, नालंदा/मुंगेर।

*4. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, नालंदा/मुंगेर।

*5. प्रखंड विकास पदाधिकारी, एकंगरसराय, नालंदा।

*6. श्री अंजनी कुमार, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, एकंगरसराय प्रखंड, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
निदेशक

ज्ञापांक: 877 /पटना, दिनांक 05-05-2016

प्रतिलिपि: श्री सुदामा कुमार, आई0टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

निदेशक
अपीर
05-05-16